संख्या-49/2015/1094/60-1-15-1/3 (15)/14

प्रेषक,

नन्द लाल प्रसाद,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 28 जुलाई, 2015**

विषयः- केन्द्र पुरोनिधानित आई0सी0पी0एस0 के अन्तर्गत विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना हेतु अनुदान संख्या-49 के अत्र्तगत आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-880/निदे0म0क0/प्रोबे0/वि0द0ग्र0अभि0/ 2015-16, दिनांक 23.06.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र पुरोनिधानित आई0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति की स्थापना हेतु अनुदान सं0-49 लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण -102-बाल कल्याण-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-12- विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना (के. 100/रा. 0-के0) की संगत मदों में प्राविधानित धनराशि रू0 20765 हजार (रू0 दो करोड सात लाख पैसठ हजार मात्र) के सापेक्ष, उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 10383 हजार (रू0 एक करोड़ तीन लाख तेरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का प्रदेशन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि में जो व्यय किया जाय वह उपलब्ध धनराशि के अन्दर रहे। प्रदिष्ट धनराशि से किसी भी नई मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार एवं समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुवल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

7- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0- -बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28.03.2013 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

8- उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के केन्द्रीय पुरोनिधानित आई0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान सं0-49 लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102- बाल कल्याण-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-12- विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना (के. 100/रा. 0-के0) की सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-बी0-1-925/दस-2015-231 /2015, दिनांक 30.03.2015 में दिये गये निर्देशों के संबंध में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या-49/2015/1094/60-1-15-1/3(15)/14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक स्थानीय निकाय,निधि लेखा, उ0प्र0, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद),
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।